कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 738/सम्प0अनु0/न0नि0सहा0/2024-25

दिनांकः- 12, जून, 2024

प्रभारी मीडिया,

इस आशय से प्रेषित। कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन (सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दरों पर) रोस्टर के अनुसार तीन समाचार पत्र **दैनिक जनवाणी व दैनिक जागरण** पत्र में कम से कम स्पेस में, नौ फांट में, प्रकाशित कर, बिल 3 प्रतियों सहित भुगतान हेतु प्रस्तुत करें। यदि आपके समाचार पत्र द्वारा उक्त निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो आपके बिल से कटौती कर भुगतान किया जायेगा, अथवा बिल का भुगतान बाधित किया जा सकता है। जिस हेतु कोई क्लैम मान्य नही होगा।

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

----::::खुली बोली नीलामी की सूचना::::----

एतद्‌द्वारा सूचित किया जाता है, कि नगर निगम सहारनपुर में ठेका मृत पशु शव निस्तारण, व ठेका पुशु मण्डी कमेला रोड वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु खुली नीलामी दिनांक 18.06.2024 को नगर आयुक्त कार्यालय के निकट कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में प्रातः 11:00 बजे से की जायेगी, इच्छुक बोलीदाता नीलामी के दिनांक से 01 दिन पहले जमानत राशि, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, आधार कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, शपथ पत्र (फोटो सहित) जिसमें यह अंकित हो कि शपथकर्ता किसी संस्था का बकायेदार नही है, और न ही कभी ब्लैक लिस्टेड हुआ है प्रस्तुत कर बोली में भाग ले सकते हैं, उक्त दोनो ठेकों हेतु निम्नानुसार शर्ते हैः-

1-ठेका मृत पशु शव निस्तारणः- उक्त ठेके हेतु अंकन 50 हजार की फिक्स डिपॉजिट जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी अथवा नकद जमा करानी होगी। उक्त फिक्स डिपॉजिट उसी व्यक्ति/फर्म के खाते से बनी होगी जो बोली में भाग लेगा। ठेका धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा रहेगी। जो ऑनलाईन नगर निगम के खाते में जमा करानी होगी।

2-ठेका पशु मण्डी कमेला रोडः- उक्त ठेके में प्रतिभाग करने हेतु जमानत राशि अंकन 07 लाख रू0 की फिक्स डिपॉजिट जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी अथवा नकद जमा करानी होगी। उक्त फिक्स डिपॉजिट उसी व्यक्ति/फर्म के खाते से बनी होगी जो बोली में भाग लेगा, एवं ठेका स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार ठेका धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा रहेगी। जो ऑनलाईन नगर निगम के खाते में जमा करानी होगी।

नीलामी से संबंधित सभी शर्ते सम्पत्ति अनुभाग में देखी/पढी जा सकती है, व सूचना व शर्ते नगर निगम की वेबसाईट www.saharanpurnagarnigam.com पर भी उपलब्ध है।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर।

मा0 महापौर महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 12.06.2024 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3-समिति के सदस्यों को नियत तिथि एवं समय पर नीलामी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु प्रेषित।
4-प्रभारी निरीक्षक, थाना कुतुबशेर को उपरोक्त तिथि में पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु।
4-रिकार्ड कीपर को नीलामी की व्यवस्था कराने हेतु।
5-नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय नगर निगम सहारनपुर।

वित्तीय वर्ष 2024–25 तक के लिये ठेका मृत पशु शव निस्तारण, व ठेका पशु मण्डी कमेला रोड हेतु खुली बोली नीलामी की शर्ते

1–ठेके की निमित्त जमानत राशि की एफ0डी0आर0 जो लेखाधिकारी, नगर निगम, सहारनपुर के नाम बन्धक होगी, अथवा नकद जमा करनी होगी।

2–जमानत राशि सम्पूर्ण ठेका अवधि तक बन्धक रहेगी तथा ठेका सम्पन्न करते रहने पर ठेका अवधि के पश्चात ठेकेदार को वापस कर दी जायेगी। जमानत राशि का समायोजन ठेका राशि में नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति/फर्म की कोई धनराशि ठेका राशि में समायोजित नहीं की जायेगी। नगर निगम का कोई बकायेदार बिना बकाया राशि जमा कराये नीलामी में भाग नहीं ले सकेगा। ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार/बोलीदाता टैण्डर में किसी भी दशा में भाग नही ले सकता है।

3–यह कि ठेका स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 03 दिन के अन्दर ठेकेदार को अपनी ऑफर की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करने व अनुबन्ध निष्पादन के बाद ही कार्यादेश जारी हो सकेगा, शेष धनराशि जुलाई 2024 में जमा करनी होगी, यदि ठेकेदार ऐसा नही करता है, तो जमानत राशि सहित समस्त जमा धनराशि जब्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जा सकेगी।

4– ठेका मृत पशु शव निस्तारण पशु स्वच्छेदन सहकारी समिति के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति भी प्रतिभाग कर सकता है।

5—यदि बोलीदाता उक्त अवधि में धनराशि जमा नही करता है, तो उसकी जमानत राशि व जमा धनराशि जब्त कर ठेको के लिए प्रतिबंधित किया जा सकेगा एंव पुनः निविदा/बोली आमंत्रित की जा सकेगी, जिसके लिये बोलीदाता स्वंय उत्तरदायी होगा।

6–ठेके की किसी भी शर्त के उल्लंघन पर जमानत राशि जब्त करने, जमा धनराशि सहित जमानत राशि जब्त करने, जुर्माना करने, धनराशि जब्त कर ठेका निरस्त करने तथा शर्तो के उल्लंघन पर प्रतिबन्धित अथवा ब्लैक लिस्टेड करने का अधिकार नगर आयुक्त को होगा।

7–ठेके के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर का होगा तथा ठेके स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा। आवश्यकतानुसार शर्तो में संशोधन का अधिकार भी नगर आयुक्त नगर निगम में निहित होगा।

8–ठेका मृत पशु शव निस्तारण हेतु अंकन 50 हजार की फिक्स डिपॉजिट जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी अथवा नकद जमा करानी होगी। उक्त फिक्स डिपॉजिट उसी व्यक्ति/फर्म के खाते से बनी होगी जो बोली में भाग लेगा। ठेका धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा रहेगी।

9–ठेका पशु मण्डी कमेला रोड में प्रतिभाग करने हेतु जमानत राशि अंकन 07 लाख रू0 की फिक्स डिपॉजिट जो लेखाधिकारी नगर निगम सहारनपुर के नाम बन्धक होगी अथवा नकद जमा करानी होगी। उक्त फिक्स डिपॉजिट उसी व्यक्ति/फर्म के खाते से बनी होगी जो बोली में भाग लेगा, एवं ठेका स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार ठेका धनराशि का 10 प्रतिशत जमानत राशि जमा रहेगी। जो ऑनलाईन नगर निगम के खाते में जमा करानी होगी।

10–ठेके के निमित्त भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई कर अधिरोपित होता है, तो ठेकेदार देने के लिए उत्तरदायी व पाबन्द होगा। जिन ठेकों पर सेवा कर लागू होगा ठेकेदार ठेके की धनराशि के साथ–साथ देने के लिये बाध्य होगा। निगम ठेके के निमित्त कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11–यदि ठेका स्थल में नगर निगम/नगर आयुक्त द्वारा कोई परिवर्तन किया जाता है, तो ठेकेदार परिवर्तित स्थल पर ठेके की शर्तो एवं अनुबन्ध के अनुसार ठेका चलाने हेतु आबद्व रहेगा।

12– ठेकेदार ठेका स्थल पर 3X3 वर्ग फीट का एक बोर्ड स्थापित करेगा, जिस पर ठेकेदार का नाम, ठेके की अवधि

Scanned with CamScanner

व लिये जाने वाले शुल्क/दर का विवरण अंकित करेगा। ऐसा न करने पर उसे अवैध कृत्य/शर्तो का गंभीर उल्लंघन मानते हुये ठेका निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। ठेका स्थल पर अतिक्रमण कर यातायात बाधित नही किया जायेगा।

13–यह कि प्रथम पक्ष किसी व्यक्ति को ठेका सबलेट नहीं करेगा। यदि इस प्रकार का तथ्य संज्ञान में आने पर ठेका निरस्त कर सभी धनराशि जब्त कर ली जायेगी, और ठेका निरस्त कर दिया जायेगा।

14– किसी वाद–विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में वाद क्षेत्र सहारनपुर स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय ही होगा।

15– नीलामी में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र लगाना होगा।

16– ठेका मृत पशु शव निस्तारण हेतु निम्नवत् शर्तो का अनुपालन करना होगा।

अ– यह कि ठेकेदार को मृत पशुओं जिनका निस्तारण ठेकेदार द्वारा किया गया है, उनका सम्पूर्ण ब्यौरा/विवरण रखना होगा जैसेः– मृत पशु की सूचना देने वाले का नाम, मोबाईल न0, पता आदि। इसके अतिरिक्त मृत पशु किस स्थान से उठाया गया और चर्म निष्कासन के उपरान्त मृत पशु के शव का निस्तारण किस स्थान पर किया गया।

ब– यह कि ठेकेदार को पशु शव–विच्छेदन का कार्य जिस स्थान पर किया जा रहा है, उस पर बोर्ड लगाना होगा, जिस पर सम्पूर्ण विवरण, ठेका अवधि, ठेकेदार का नाम, अंकित करना होगा। जिस पशु का शव–विच्छेदन किया जा रहा है, उसका सम्पूर्ण विवरण पंजीका में दर्ज करना होगा, जैसे– मृत पशु की अनुमानित उम्र, वंश, उसके पूर्व स्वामी का नाम व पता मोबाईल नम्बर सहित। मृत पशु का कब और कंहा से लाया गया, और उसके शव का निस्तारण किस स्थान पर किया गया।

स– यह कि ठेकेदार द्वारा गौवंशीय के मृत पशुओं के अतिरिक्त सभी मृत पशुओं का निस्तारण करने का का दायित्व होगा। मृत पशुओं के शव विच्छेदन हेतु स्थल निर्धारित होगा, उसके अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर शव विच्छेदन नही किया जायेगा।

द– यह कि ठेकेदार द्वारा मृत पशुओं से प्राप्त उनके शव के मूल्यवान अवशेष जैसे– चमडा, सींग, खुर आदि रखने हेतु एक गौदाम बनाना होगा, जो ऐसे स्थान पर होगा, जिससे जनसामान्य को गौदाम से आने वाली दुर्गन्ध से परेशानी न हो, साथ ही चमडा गोदाम हेतु नगर निगम के लाईसेंस विभाग से लाईसेंस प्राप्त करना होगा।

य– यह कि ठेकेदार को पशु शव–विच्छेदन के बाद मूल्यवान उत्पादों का विक्रय किस नगर/स्थान में किस संस्था/व्यक्ति को किया जा रहा है, उसका विवरण रखना होगा, तथा जिस व्यक्ति/संस्था का यह विक्रय किया जा रहा है, उसके पास इस हेतु लाईसेंस होना अनिवार्य है, इसका उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

व– यह कि कार्य स्थल पर समुचित सफाई व्यवस्था ठेकेदार को रखनी होगी, पशु शव–विच्छेदन स्थल तक शव को ढक कर लाया जायेगा, और विच्छेदन के उपरान्त शव का निस्तारण करने हेतु बन्द गाडी में जो लिकेज प्रूफ वाहन हो में ले जाना होगा।

र– यह कि नगर निगम सहारनपुर के अधिकारी, पशु पालन विभाग के अधिकारी, जिला प्रशासन व पुलिस के अधिकारी यदि स्थल का निरीक्षण करते है, तो उन्हे उक्त सभी रिकॉर्ड अवलोकन कराने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

17– प्रत्येक ठेका की नीलामी में भाग लेने के लिये निर्धारित जमानत धनराशि, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं एक शपथ पत्र इस आशय का कि बोलीदाता किसी भी संस्था से ब्लैक लिस्टेड नही है, और नगर निगम सहारनपुर का बकायेदार नही है, उक्त अभिलेख नीलामी से पूर्व जमा करने होंगे इसके उपरान्त ही नीलामी में भाग ले सकते है।

18–यह कि उक्त ठेके से सम्बन्धित किसी भी तरह का बकाया रह जाने पर समस्त जमा धनराशि व जमानत धनराशि सहित जब्त कर अवशेष धनराशि को बकाया भू–राजस्व की भांति वसूल किया जा सकेगा।

19– अनुबन्ध हेतु पर्याप्त मूल्य के स्टाम्प प्रस्तुत करने होंगे, स्टाम्प की कमी के लिये केवल ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

प्रभारी अधिकारी (सम्पत्ति)
नगर निगम सहारनपुर

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम सहारनपुर

Scanned with CamScanner